

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनर्विलोकन क्र.

/2015

क्रि. 3253/PBR/15

श्री विनोद भागवत कर्मि

द्वारा आज दि. 6-10-15 को

प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. अनूप कुमार अवस्थी पिता स्व. श्री चन्द्र शेखर अवस्थी, निवासी इ. एल. सी. कोठी बाजार, बस स्टैण्ड के पास जिला बैतूल (म.प्र.)
 2. श्रीमती तोषी पत्नि श्री विजय खण्डेलवाल
 3. श्रीमती ममता पत्नि श्री मनीष खण्डेलवाल
- दोनो निवासीगण— सिविल लाइन्स बैतूल जिला— बैतूल (म.प्र.)

—आवेदकगण

विरुद्ध

1. प्रमोद कुमार अवस्थी,
 2. विनोद कुमार अवस्थी,
 3. सुबोध कुमार अवस्थी,
 4. नागेश कुमार अवस्थी,
 5. राजेश कुमार अवस्थी,
 6. ब्रजेश कुमार अवस्थी,
- सभी पुत्रगण स्व. श्री चन्द्र किशोर अवस्थी सभी निवासीगण— कोठी बाजार बैतूल, जिला— बैतूल (म.प्र.)
7. श्रीमती अलका पत्नि श्री अरविन्द कुमार मिश्रा निवासी क्षिप्रा सनसिटी, गाजियाबाद (उ.प्र.)
 8. श्रीमती अंशू पत्नि श्री राजेन्द्र शुक्ला निवासी बूटी बोरी, नागपुर, महाराष्ट्र

—अनावेदक

श्री विनोद भागवत
कर्मि
6-10-15

अध्यक्ष महोदय न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र.
ग्वालियर द्वारा निगरानी प्रकरण क्र.

1298-अध्यक्ष/2012 पारित आदेश दिनांक
08-09-2015 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता,
1959की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यु 3253-पीबीआर/2015

जिला बैतूल

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर


12-01-2016

उभयपक्ष अधिवक्तागण को रिव्यु प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना गया । यह रिव्यु आवेदन इस न्यायालय के प्रकरण क्रमांक निगरानी 1298-पीबीआर/12 में पारित आदेश दिनांक 8-9-2015 के विरुद्ध म0प्र0भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है ।
2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा रिव्यु आवेदन की ग्राह्यता के बिन्दु पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया गया। निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :-

- 1/ नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक् तत्परता के पश्चात् भी नहीं मिल पाई थी ।
- 2/ अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।
- 3/ कोई अन्य पर्याप्त कारण ।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है, उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है, इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों ।




(मनोज गोयल)
अध्यक्ष